

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी  
किस्म मुकदमा

मा ६०


विपक्षी

पर्याप्त

१५

पत्रावली संख्या

५३/२२ सन

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>26/5/22 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रति./विपक्षी/रेस्पों. को जरिये सम्मन/ नोटिस तलब किंगे जाकर पत्रावली बाद तलबी दिनांक. 28/6/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       सहायक कलक्टर                      (SDO) मावली                 </p>	
	<p>28/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठारीन अधिकारी मन्ने. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की फलान्त में दिनांक... 19/7/22 को पेश हो।</p>	
	<p>19/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठारीन अधिकारी मन्ने. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की फलान्त में दिनांक... 30/8/22 को पेश हो।</p>	
	<p>30/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठारीन अधिकारी मन्ने. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की फलान्त में दिनांक... 02/9/22 को पेश हो।</p>	



2/9/22

पत्रावली पैरा 52) अधिनियम धारा  
52.1 मूल बात को धिंकर ही हो  
कि, पा-युक्त ही गा: मूल बात  
होने में अब इन पत्रावली में  
कोई कार्यवाही हो नहीं (होती)  
अतः पत्रावली इसी तरह पर हो  
की जाती है

पत्रावली फिलहाल मुगल  
होकर नम्बर में कर हो

निर्णय मुगल 52)



सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) मावली

22/3/22